न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी:– अर्पिता सोनी, आर.ए.एस.

प्र.सं. 63/2019
सी.सी.एम.एस. : 2019/00288

1. जसवीर पुत्र रामलाल जाति बावरी निवासी 19 एनपी रायसिंहनगर तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
2. तेजाराम पुत्र रामलाल जाति बावरी निवासी 19 एनपी रायसिंहनगर तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
3. नरसीराम पुत्र रामलाल जाति बावरी निवासी 19 एनपी रायसिंहनगर तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

–:प्रार्थीगण

बनाम

रामकिशन पुत्र थानाराम जाति बावरी निवासी 19 एनपी ....मृतक

1. भानीराम पुत्र रामकिशन जाति बावरी निवासी 19 एनपी रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
2. कालूराम पुत्र रामकिशन जाति बावरी निवासी 19 एनपी रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
3. रामकुमार पुत्र रामकिशन जाति बावरी निवासी 19 एनपी रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
4. शिमादेवी पुत्र रामकिशन पत्नी हंसराज जाति बावरी निवासी ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर

–:अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आर टी एक्ट</u>

उपस्थितिः–

1. श्री राजाराम पूनियां, वकील प्रार्थीगण
2. श्री हरपाल सिंह सुधन, वकील अप्रार्थी सं. 1ता3
3. एकपक्षीय अप्रार्थी सं. 4

–: <u>निर्णय</u> :–

दिनांक :27.01.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि चक 19 एनपी के मु.नं. 27 व 30 की 5.692है. भूमि में आवागमन हेतु चक 19 एनपी के मु.नं. 27 के कि.नं. 23 में 110 फुट लम्बी व 9 फुट चौड़ी कि.नं. 24 व 25 में 9 फुट चौड़ा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते हैं। जिसके खातेदार रामकिशन का देहान्त हो चुका हैं। उसके विधिक प्रतिनिधि अप्रार्थीगण हैं। मौके पर रास्ता चालू हैं। अप्रार्थीगण रास्ता के लिए स्वेच्छा से भूमि छोड़ रहे हैं। तथा प्रार्थीगण रास्ता की भूमि के बदले अनावेदकगण को कि.नं. 18 व 23 में से भूमि दे रहे हैं। पक्षकारान ने 17.07.2019 को रास्ता छोड़ने व रास्ता के बदले में भूमि देने की लिखित की हैं। अतः रास्ता स्वीकृत करने निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया एवं भू.अ. निरीक्षक करड़वाली से मौका जांच रिपोर्ट मंगवाई गयी। अप्रार्थी सं. 1 ता 3 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि इकरारनामा बाबत रास्ता छोड़ने निष्पादित नहीं हुआ हैं। आवेदन पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया हैं। अप्रार्थी सं. 4 के विरूद्ध दिनांक 11.02.2020 को एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। भू.अ.निरीक्षक करड़वाली से जांच रिपोर्ट दिनांक 18.02.2020 प्राप्त हुई। मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थीगण मु.नं. 27 के कि.नं. 24–25 में रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते हैं एवं स्वयं की खातेदारी भूमि मु.नं. 27 के कि.नं. 23 में से 110फुट लम्बा रास्ता स्वेच्छा से छोड़ना चाहते हैं। जिसके संबंध में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सहमत हैं एवं सहमति पत्र न्यायालय में विचाराधीन पत्रावली के संलग्न हैं। मौके पर मु.नं. 27 के कि.नं. 24–25 की दक्षिणी सीमा पर एवं कि.नं. 23 की दक्षिणी सीमा पर कि.नं. 24 से पश्चिम की तरफ वर्तमान में रास्ता चल रहा है जिसका उपयोग दानों पक्षों द्वारा किया जा रहा हैं। पक्षकारान की [illegible] व सुविधा एवं मौका स्थिति के अनुसार चक 19 एन पी के मु.नं. 27 के कि.नं. 24–2[illegible] 165 फुट लम्बा एवं 23 में 110फुट लम्बा रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित होगा।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। [illegible] में प्रस्तुत इकरारनामा के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार [illegible] आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया।

बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया। एवं पत्रावली का अ[illegible]कन किया। ईकरारनामा दिनांक 17.07.2019 का अवलोकन किया। मुताबिक ईकरारनामा अप्रार्थी सं. 1 ता 3 चक 19 एनपी का मु.न. 27 के कि.नं. 25–24 प्रत्येक में दक्षिण हिस्सा में पूर्व से पश्चिम 9 फुट चौड़ा व 330 फुट लम्बा रास्ता प्रार्थीगण के लिए छोड़ते हैं, जो मौका पर चालू कर दिया गया हैं। प्रार्थीगण उपरोक्त रास्ता के बदले अपनी कृषि भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.02.02 13:55:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

Scanned with CamScanner

चक 19 एनपी के मु.नं. 27 प.नं. 172/339 का कि.नं. 18–23 प्रत्येक में पूर्वी दिशा में दक्षिण से उतर दिशा 9 फुट चौड़ी व 330 फुट लम्बाई में भूमि अप्रार्थीगण के पक्ष में छोड़ दी हैं। चूंकि प्रकरण में पक्षकारान आपसी सहमति से रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते हैं तथा ईकरारनामा अनुसार मुआवजा प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

लिहजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के पिता(मृतक) के नाम दर्ज भूमि चक 19 एनपी का मु.न. 27 के कि.नं. 25–24 प्रत्येक में दक्षिण हिस्सा में पूर्व से पश्चिम 9 फुट चौड़ा व 330 फुट लम्बा एवं प्रार्थीगण की कृषि भूमि चक 19 एनपी का मु.न. 27 के कि. नं. 23 में 9 फुट चौड़ा व 110 फुट लम्बा दक्षिणी पासा गै.मु. रास्ता स्वीकृत किया जाता हैं। तहसीलदार रायसिंहनगर उक्त स्वीकृतशुदा गै.मु. रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। तथा मुताबिक ईकरारनामा प्रार्थीगण की चक 19 एनपी के मु.नं. 27 प.नं. 172/339 का कि.नं. 18–23 प्रत्येक में पूर्वी दिशा में दक्षिण से उतर दिशा में 9 फुट चौड़ी व 330 फुट लम्बाई भूमि प्रार्थीगण के रकबा में से कम करते हुए अप्रार्थीगण के पिता रामकिशन (मृतक) के नाम दर्ज खातेदारी भूमि चक 19 एनपी जमाबंदी सम्वत् 2073–76 के खाता सं. 57/49 में दर्ज करें।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अर्पिता सोनी)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.02.02 13:35:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner